(82)

माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्र. अपील / 1528 / पी.बी.आर. / 09

रेस्टो० 1262-PBR-15

निशिथ अरूण जायसवाल

...........प्रार्थी

बनाम

म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर जिला,

ग्वालियर

...........प्रत्यर्थी

1-6-15

आवेदन पत्र वास्ते प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने बावत

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से आवेदनपत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यह कि, प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील क्रमांक 1528 / पी.बी. आर / 2009 प्रस्तुत की थी जिसको माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 05.03.2012 द्वारा निरस्त कर दिया था।
2. यह कि, उक्त आदेश के विरूद्व प्रार्थी द्वारा रिट याचिका क्रमांक 8328 / 2013 प्रस्तुत की गई थी।
3. यह कि, माननीय उच्च न्यायालय ने प्रार्थी की याचिका स्वीकार कर अपने आदेश दिनांक 16.02.2015 में यह निर्देश दिये है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में लंबित आवेदन अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम को विधिवत सुनवाई कर निराकृत किया जाये। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न है।

प्रार्थना :-

अतः प्रार्थना है कि आवेदनपत्र स्वीकार किया जाकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विधिवत सुनवाई करने की कृपा करें।

दिनांक– 11 / ~~05~~ / 2015 1/6/15

प्रार्थी

Nishith A. Jaiswal

निशिथ कुमार जायसवाल

द्वारा अभिभाषक

(एस. के. श्रीवास्तव)

(आर. के. उपाध्याय)

एडवोकेट्स

10.10.2017	आवेदक की ओर से श्री आर०के० उपाध्याय अभिभाषक उपस्थित। यह पुनर्स्थापन प्रकरण आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रस्तुत किया गया है। इस कारण समाप्त किया जाता है।	
	अध्यक्ष	

शा०मुद्रा—355—फॉर्म्स—3-2-16—30,000 प्रपत्र.